



दिनांक:- 16.11.2020

“महोबा पुलिस”



श्री गोवर्धन नाथ जी की शोभायात्रा

(सदर मन्दिर से प्रारम्भ होकर नगर भ्रमण करते हुये मेला मन्दिर में स्थापना)

जनपद महोबा के चरखारी में श्री गोवर्धन नाथ जी की ऐतिहासिक शोभायात्रा (सदर मन्दिर से प्रारम्भ होकर नगर भ्रमण करते हुये मेला मन्दिर तक) सुरक्षा व्यवस्था के साथ विधिवत रूप से कल दिनांक 15.11.2020 को निकाली गयी।

इस अवसर पर महोबा सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी, जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम/सीओ चरखारी, SP Pro श्री राजेश मौर्य व अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, समाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधिवत हवन-पूजन कर मूर्ति को 01 माह के लिये स्थापित किया गया।

ध्यातव्य है कि यह एक ऐतिहासिक गोवर्धन नाथ जू मेला है जो चरखारी रियासत के राजा मलखान सिंह जूदेव द्वारा वर्ष 1883 में इसकी शुरुआत की गयी थी। मन्दिर के आंगन में 108 कृष्ण मन्दिर स्थापित किये जाते हैं जहां आस्था का सैलाब देखकर लोगों की जुबां से बरबस ही निकल पडता था- **इतै भीर भई भारी, वृन्दावन हुई चरखारी**। किन्तु इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 के खतरों को ध्यान में रखते हुये मेला परिसर में भीड-भाड व दुकानें लगाने की अनुमति नहीं है, शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 हेल्प-डेस्क बनाया गया है।





दिनांक:- 16.11.2020

“महोबा पुलिस”



अजनर पुलिस ने चोरी के वांछित अभियुक्तों को तमंचा व चोरी किये सामान सहित किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण श्रीवास्तव द्वारा नकबजनी/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु जारी आदेशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के कुशल निर्देशन पर तथा क्षेत्राधिकारी कुलहाड़ श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर में प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा टीम का गठन किया गया, गठित टीम के द्वारा कल दिनांक 15.11.2020 को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब मुखविर ने सूचना दी कि अजनर कस्बे मे दो व्यक्ति चोरी का माल बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर अजनर कस्बे वन विभाग तिराहा के पास से दो व्यक्तियों को गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस तथा थाना अजनर एवं थाना श्रीनगर में हुई चोरियों का माल बरामद किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का बरामदा माल का विवरण इस प्रकार है। 1.दो जोड़ी पायल पाँच जोड़ी मीना सफेद धातु, 2.एक जोड़ी टप्स सोने का, 3.एक अदद मोबाईल सैमसंग वाडी रंग काला मीडियम एन्ड्रायड माडल **A260G IMEI-N0. 35625102666158** सम्बन्धित मु0अ0सं0 197/2020 धारा 457/380/411 भादवि व दो अदद वण्डल माल मसरूका 1. 6000 रुपये 2.एक जोड़ी पायल सफेद धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 157/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना अजनर जिला महोबा व मु.अ.सं. 114/2020 धारा 457/380 भादवि थाना श्रीनगर जिला महोबा से सम्बन्धित बरामद माल मसरूका 1.एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी मीना (तीन नग जंजीर से जुड़े हुये) 2.एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी मीना (3 नग जंजीर से जुडा), एक हा. लिखा लाकेट थाना श्रीनगर जिला महोबा व एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता टीम का नाम-थाना अजनर..।

- 1.SSI देवेन्द्र कुमार मिश्रा
- 2.का. जितेन्द्र कुमार गौतम 3.का. कुवेर सिंह 4.का. जयवीर कुमार.....।



गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.चरन अहिरवार पुत्र सुन्नी अहिरवार उम्र 23 वर्ष नि. ग्राम देवथा थाना अलीपुरा जिला छतरपुर म0प्र0
- 2.रामबाबू अहिरवार पत्र देशराज उम्र 22 वर्ष नि. ग्राम जोरन थाना अलीपुरा जिला छतरपुर म0प्र0



दिनांक:- 16.11.2020

“महोबा पुलिस”



खरेला पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब सहित

03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

...पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जुआ/अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 15.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री अनिल कुमार द्वारा अभियान के दृष्टिगत टीम का गठन किया गया, जिसके क्रम में गठित टीम के द्वारा एक नफर अभियुक्त भगवानदास पुत्र बसोरी लाल उम्र करीब 35 वर्ष को पांच पाटन मन्दिर के पास ग्राम कुडार से एक बोरी में 20 अदद क्वाटर देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

इसी क्रम में द्वारा दो नफर अभियुक्तगण 1.लल्लू सिंह गौतम पुत्र पंचम सिंह उम्र करीब 30 वर्ष 2. नितेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह उम्र करीब 35 वर्ष को ऐचाना बरांय तिराहा ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा से दो अलग-अलग सफेद बोरी में 45-45 अदद पउआ देशी शराब ठेका कुल 90 अदद पउआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 क्रमशः 142/20 व 143/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. भगवानदास पुत्र बसोरी लाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा।
2. लल्लू सिंह गौतम पुत्र पंचम सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा।
3. नितेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस की संयुक्त टीमें..थाना.खरेला..।

(प्रथम-टीम) - सम्बन्धित मु0अ0सं0 144/2020.....

1.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह

2.का0 राहुल यादव

(द्वितीय-टीम) - सम्बन्धित मु0अ0सं0 144/2020.....

1.वरिष्ठ उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी

2.का0 हरेन्द्र कुमार यादव





दिनांक:- 16.11.2020

“महोबा पुलिस”



-:थाना कोतवाली महोबा पुलिस की अवैध जुआ के विरुद्ध सख्त कार्यवाही:-
(07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 30,100/- रुपये बरामद किये)



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जुआ/अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आरकेगौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 15/11/2020 को थाना प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम ने मामना रोड स्थित

कान्ति के मकान के बगल से रूपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 27100/-रु0 व जामातलाशी 3000/-रु0 कुल 30100/-रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुये जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 619/2020 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी विवरण:-

मालफड़ 27100/-रु0 व जामातलाशी 3000/-रु0, कुल 30100/-रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना-कोतवाली महोबा.।

1. उ0नि0 मुबीन अली
2. कां0 दीपेन्द्र सिंह
3. कां0 सुमित कुमार
4. कां0 शिवकुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. श्यामकुमार पुत्र कालूराम उम्र 38 वर्ष निवासी कस्बाथाई थाना कोतवाली महोबा
 2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र भगवानदीन उम्र 31 वर्ष निवासी मुहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली महोबा
 3. राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र रामप्रसाद उम्र 42 वर्ष निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली महोबा
 4. नीरज चौरसिया पुत्र कन्हैया लाल उम्र 32 वर्ष निवासी इमलीबरा थाना कोतवाली महोबा
 5. सन्तराम वर्मा पुत्र मगनलाल वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा
 6. मनोज द्विवेदी पुत्र चन्द्रशेखर द्विवेदी उम्र 20 वर्ष निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली महोबा
- प्रमोद चौरसिया पुत्र हरिशचन्द्र उम्र 26 वर्ष निवासी इमलीबरा थाना कोतवाली महोबा



दिनांक:- 16.11.2020

“महोबा पुलिस”



क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह द्वारा महोबा शहर में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।

आज दिनांक 16.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह मय हमराह एवं कोतवाली पुलिस बल के साथ महोबा शहर में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत

